भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-507

उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

कम या शून्य नामांकन वाले स्कूल

507 # **श्री नीरज डांगी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कम या शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा छात्र-शिक्षक के अनुपात को बेहतर रखे जाने के संबंध में प्रति छात्र-शिक्षक अनुपात की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्कूलों में कम व शून्य नामांकन की स्थिति को सुधारने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए शून्य छात्र नामांकन वाले स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या के साथ-साथ इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या और छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) https://www.education.gov.in/en/parl_ques. पर उपलब्ध है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के बहुसंख्य स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक प्रदान किए जाने वाले समग्र शिक्षा और गर्म पका हुआ भोजन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ

माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, स्कूल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन तथा कक्षा 12 तक संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

******